126

उत्तर मध्य रेलवे
NORTH CENTRAL RAILWAY

गोपनीय

SIV-3

सतर्कता विभाग,
सूबेदारगंज, प्रयागराज–211015
Vigilance Branch
Subedarganj, Prayagraj- 211015

पत्र संख्याः 20220301292/PC/V5/N/ALD   दिनांकः 31 .08.2022

प्रमुख मुख्य संकेत एवं दूसरसंचार इंजीनियर,
उत्तर मध्य रेलवे,
सूबेदारगंज, प्रयागराज।

विषयः– S&T विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा फेलियर अटेंड करने के एवज में नियम विरूद्ध क्लेम किये जा रहे Breakdown Daily Allowance की पुनरावृत्ति रोकने के लिये उचित दिशा–निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

SSE/Sig/FTP के कार्यक्षेत्र में रसूलाबाद स्टेशन पर S&T विभाग के अन्तर्गत कार्यरत् सुपरवाइजरों एवं अन्य कर्मचारियों की हाजिरी, मूवमेंट, छुट्टी/रेस्ट एवं TA क्लेम किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22.03.2022 को किये गये सतर्कता जाँच के दौरान यह संज्ञान में आया कि उक्त डिपो में कार्यरत् सभी ग्रेड के कर्मचारियों द्वारा फेलियर अटेंड करने के एवज में वैसे फेलियर जो 12 घण्टे से कम समय के लिए हुए एवं इसमें कर्मचारी अपने मुख्यालय के बाहर 12 घण्टे से कम अवधि के लिए ड्यूटी पर रहा या वैसे फेलियर जो कर्मचारी के मुख्यालय के 08 किमी0 की परिधि में हुए हों जिसे अटेंड करने के लिए कर्मचारी द्वारा ड्यूटी की गयी हो, के लिए भी 100% की दर से daily allowance क्लेम करके प्राप्त किया गया, जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। चूँकि ब्रेकडाउन के केस में Full Daily Allowance (@100%) क्लेम किये जाने के लिए मुख्यालय से 08 Km बाहर की दूरी एवं 12 घण्टे से अधिक समय होने की बाध्यता नहीं है एवं यह allowance वैसे कर्मचारियों के लिए भी देय है जो प्रत्येक महीने में ब्रेकडाउन भत्ता नहीं पाते हैं जिसमें सुपरवाइजरी ग्रेड के कर्मचारी भी शामिल हैं, इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा पत्र सं0 E(P&A)II-98/BDA-1 दिनांक 25.05.1999 (RBE No. 118/99) के द्वारा निर्देशित किया गया है। परन्तु जिन परिस्थितियों को ब्रेकडाउन माना जाएगा उसके सम्बन्ध में RB द्वारा पत्र सं0 E(P&A)II /91/BDA/1/DC/JCM दिनांक 13.08.1991 में बताया गया है जिसके अनुसार किसी दुर्घटना की स्थिति जिसमें ब्रेकडाउन ट्रेन/इंजन/सामग्री की माँग की गयी हो या किसी कारणवश रनिंग लाइन पर सामान्य ट्रैफिक परिचालन में बाधा उत्पन्न हो जो प्वाइंट के Burst/Damage होने के कारण हो या Interlocked Lifting Barrier के टूटने की स्थिति में या Communication/Tele-communication के पूरी तरह फेल होने के कारण उत्पन्न हुए उक्त परिस्थितियों को ही माना जाएगा। वर्तमान केस में ब्रेकडाउन की उक्त असामान्य परिस्थितियाँ मौजूद नहीं थीं इसके बावजूद भी उक्त डिपो के कर्मचारियों द्वारा 100% daily allowance अपने TA जर्नल में फेलियर अटेंड करने के लिए क्लेम करके प्राप्त किया गया।

S&T विभाग/उ.म.रे. में अन्य कर्मचारियों द्वारा भी फेलियर अटेंड करने के लिए 12 घण्टे से कम अवधि तक बाहर रहते हुए या फिर अपने मुख्यालय से 08 किमी0 की परिधि में हुए फेलियरों को उनके द्वारा अटेंड करने पर भी 100% की दर से breakdown daily allowance वैसे फेलियरों के लिए भी क्लेम किया जा रहा हो जो ब्रेकडाउन की श्रेणी में नहीं आते हैं, ऐसी सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कर्मचारियों द्वारा उक्त कृत्य किये जाने का कारण जानकारी का अभाव होना भी हो सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में उचित दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें जिससे S&T विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस सम्बन्ध में कृत् कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने की व्यवस्था भी करें, जिससे मामले में अग्रिम निर्णय लिया जा सके।

31.08.2022
(धर्मेन्द्र कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/बिजली
कृते महाप्रबन्धक/सतर्कता

31/8/22